

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल नाल / पुराने के निर्माण की स्वीकृति स्वयंसेवक विभाग को करनी है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विचार (एकलिंग, सजावटी, कंक्रीटिंग या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) नगर निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगर के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फाल्गुनी श्रीराम अलासीय श्रीमान
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 172 दिनांक 12/03/2019
 प्राचीन सुपर जोयल 5/6 की कैंलस जोयल
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No = 522/23 श्रीमान श्री अलासीय
 धारा 194 (i) (ii) के तहत आवश्यक
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7374/- जमा
 जरिये रसीद संख्या 1021/6557, 6558
 दिनांक 12/03/2019 को जमा करा दी है ।

पी+1
 श्रीमान

श्रीमान
 सहायक नगर निगम
 नगर निगम, जोधपुर

श्रीमान श्रीमान
 M.9588047217